रेल माल डिब्बों का निर्माण

287. **श्री यारेलाल खडेलवाल** : परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार गैर-सरकारी क्षेत्र में रेल माल डिब्बों के के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) देश में इस समय कुल कितने कार्यक्षम रेल माल डिब्बे उपलब्ध हैं तथा माल की ढुलाई हेतु, ऐसे कितने रेल माल डिब्बों की आवश्यकता है और इस समय कितने रेल माल -डब्बों का उत्पादन होता ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) रेलवे माल डिब्बों के निर्माण के लिए आदेश, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की यूनिटों को, उनकी स्थापित क्षमता और पिछले कार्य-निष्पादन को देखकर दिये जाते हैं ;

(ख) 31.3.1985 को रेल प्रणाली पर चालू हालत वाले बड़ी, मीटर और छोटी लाइन के उपलब्ध मालडिब्बों की कुल संख्या 5,34,839 थी (चौपहिये यूनिटों के हिसाब से) माल डिब्बों के वर्तमान बेड़े से रेलें निर्धारित लक्ष्य के अनुसार माल यातायात की ढुलाई करने में समर्थ रही हैं । तथापि माल यातायात प्राप्ति मेंमौसमी घटा-बढ़ी के कारण ऐसी अवधियां भी होती है जब मांगों के इकट्ठा हो जाने से सप्लाई में देरी हो सकती है । वर्ष 1985–86 में चौपहिया माल डिब्बों के हिसाब से रेलवे माल डिब्बों के उत्पादन का लक्ष्य लगभग 12,500 है ।

अप्रयुक्त टिकटों की धनराशि वापिस करने के बारे में अभ्यावेदन

288. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 19 जनवरी, 1986 को इलाहाबाद में उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक को एक मांग पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमे अन्य मांगों के साथ-साथ यह अनुरोध किया गया है कि लौटाई जाने वाली टिकटों पर 500 किलोमीटर की शर्त को समाप्त करके किराये की पूरी राशि वापिस की जानी चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो उक्त मांग पत्र में क्या-क्या मुख्य मांगें की गई और सरकार उन पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी हां ।

(ख) मुख्य मांगों पर की गयी कार्रवाई निम्नलिखित है :–

1. 500 किलोमीटर तक की दूरी के अनारक्षित टिकटों को रद्द करने के सम्बन्ध में गाड़ी छूटने के तीन घंटे बाद तक किराया वापसी की सुविधा 1–1–1986 से समाप्त कर दी गय थी । बहरहाल यह सुविधा 1–2–1986 से पुनः लागू कर दी गयी है ।

2. जहां तक आरक्षित टिकटों पर रद्दीकरण प्रभारों को 50 प्रतिशत तक समाप्त कर दिये जाने की मांग का सम्बन्ध है यह रद्दीकरण के उन अनुरोधों पर लागू होता है जो दो दिन पहले तक किये गये हों । कदाचार रोकने के उद्देश्य से ही 1–1–86 से यह परिवर्तन किया गया ।

3. प्रयाग राज एक्सप्रेस एक सुपर-फास्ट गाड़ी है और इस गाड़ी में और अधिक डिब्बे लगाये जाने की कुछ सीमाएं हैं । फिर भी, 1–3–1986 से इस गाड़ी में नियमित रूप से दूसरे दर्जे का एक अतिरिक्त शयनयान लगाने के अनुदेश जारी कर दिये गये हैं ।

4. स्टेशनों पर खान-पान व्यवस्था के सम्बन्ध में अधिकारियों और पर्यवेक्षी कर्मचारियों दोनों द्वारा निरीक्षणों के दौरान नियमित रूप से जांच की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यात्रियों को निर्धारित मात्रा में स्वच्छ और अच्छा भोजन दिया जाता है ।